तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16/09/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील अनु०। चूंकि मूल राशा अरम पैरवी अरम समिति में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र का औचित्य नहीं रह गया है। प्रार्थना पत्र अरम पैरवी - अरम समिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बार तकमील रखिल रफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०